न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा (टोक)
(सुश्री रजनी मीणा आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र संख्याः– 141 / 2019
निर्णय दिनांकः– 08.01.2021

उनवान

1.रामफूल पुत्र मंगला जाति कीर निवासी रूपवास तहसील उनियारा जिला टोंक
2.दुर्गालाल पुत्र मंगला जाति कीर निवासी रूपवास तहसील उनियारा जिला टोंक

–प्रार्थीगण

बनाम

तहसीलदार तहसील उनियारा जिला टोक (राज0) – प्रतिपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः– 1. श्री सुरेन्द्र कुमार धाकड़ वकील प्रार्थी
2.पेरोकार सरकार

<u>निर्णय</u>

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार है:–

यह कि प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात खाता संख्या 180 ख0न0 875 रकबा 1.42 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 1.42 है0 वाके ग्राम रूपवास तहसील उनियारा जिला टोंक में स्थित है।

प्रार्थीगण के पिता का सही एवं वास्तविक नाम मंगला पुत्र हरजी है। जो कि जमाबन्दी खाता सं0190 ग्राम रूपवास सम्वत 2070–2074 से प्रमाणित है जिसमें प्रार्थीगण के पिता का नाम मंगला पुत्र हरजी दर्ज है। प्रार्थीगण के पिता के आधार कार्ड, फोटो पहचान पत्र,राशनकार्ड,मृत्यु प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेजात में प्रार्थीगण के पिता का नाम मंगला पुत्र हरजी अंकित है। परन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थीगण के पिता का नाम सहवन से किसी स्थान पर मंगल्या पुत्र हरजी अंकित कर दिया गया है, जबकि सही नाम मंगला पुत्र हरजी है । राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थीगण के पिता का नाम मंगला पुत्र हरजी के स्थान पर सहवन से मंगल्या पुत्र हरजी दर्ज हो जाने के कारण प्रार्थीगण को उक्त आराजी की कृषि उपज समर्थन मूल्य में विकय करने,कृषि अनुदान प्राप्त करने व अन्य अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है।

यह कि प्राथीगण की अधियाचना है कि प्राथीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात खाता संख्या 180 ख0न0 875 रकबा 1.42 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 1.42 है0 वाके ग्राम रूपवास तहसील उनियारा जिला टोंक में प्रार्थीगण के पिता का नाम मंगल्या पुत्र हरजी के स्थान पर मंगला पुत्र हरजी अंकित करवाते हुये राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने का आदेश प्रदान करे।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिपक्षी पेरोकार सरकार तहसीलदार उनियारा की और से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि मुताबिक वर्तमान रिकार्ड के ग्राम रूपवास के खाता सं0 180 में प्राथीगण के पिता का

उप खण्ड अधिकारी

नाम मंगल्या पुत्र हरजी जाति कीर दर्ज है। मुताबिक ग्रामवासियान व जाँच से मंगल्या पुत्र हरजी व मंगला पुत्र हरजी एक ही व्यक्ति है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत 2070–2074 खाता संख्या 180 ख0न0 875 रकबा 1.42 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 1.42 है0 वाके ग्राम रूपवास तहसील उनियारा में प्रार्थीगण के पिता का नाम मंगल्या पुत्र हरजी जाति कीर साकिन रूपवास खातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत छायाप्रति आधारकार्ड,भामाशाह कार्ड,परिवार राशनकार्ड में प्रार्थीगण के पिता का नाम मंगला पुत्र हरजी व छाया प्रति मतदाता फोटो पहचान पत्र में प्रार्थीगण के पिता का नाम मंगला दर्ज है। तहसीलदार उनियारा द्वारा प्रस्तुत जवाब में भी ग्राम रूपवास के खाता सं0 180 में प्रार्थीगण के पिता का नाम मंगल्या पुत्र हरजी के स्थान पर मंगला पुत्र हरजी किये जाने की अभिशंषा की गई है।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाता है कि वह संख्या 180 वाके ग्राम रूपवास तहसील उनियारा जिला टोंक में दर्ज **मंगल्या पुत्र हरजी के स्थान पर मंगला पुत्र हरजी** दर्ज कर राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। अगर इससे किसी वित्तिय या अन्य किसी संस्था का कोई हित प्रभावित होता है तो सम्बन्धित संस्था को प्रार्थी स्वयं सूचित करेगा।

यह निर्णय आज दिनांक 08.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुश्री रजनी मीणा)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा, जिला टोंक